न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, सिवान

जमानत आवेदन सं0 282/2026

सिवान नगर थाना कांड सं0– 787/2025 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा– 303(2),305(बी) भारतीय न्याय संहिता

अंकित यादव ..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य,. द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थित– श्री विकाश कुमार पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षय लाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

08.04.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त अंकित यादव की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन, सिवान नगर थाना कांड संख्या 787/2025, अंतर्गत धारा 303(2),305(बी) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया। काराधीन आवेदक/अभियुक्त अंकित यादव दिनांक 05.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन संचालित किया गया। काराधीन अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

प्रसंगिक मामला संक्षेप में, यह है कि दिनांक 25.09.2025 समय 8.00 बजे सुबह फैजान अली को सूचक अपने साथ प्रिमियम कोचिंग इन्सटिच्युट रामराज्य मोड़ रिचा गैस एजेंसी के बगल में क्लास कराने के लिए गये थे। वहॉ उन्होने अपनी गाड़ी कोचिंग के बाहर लगा दिया। गाड़ी लगाकर सूचक जरूरी काम से बाजार करने चले गये। जब सूचक वहॉ आया, तो वहॉ गाड़ी मौजूद नहीं थी। गाड़ी का नम्बर बीआर–29 एएल 3314 इंजन न0 एचए10एजीकेएचके06661 तथा चेचीस नं0 एमबीएल एचएडब्लु086 के एच के 06582 रजिस्ट्रेशन तिथि– 16.02.2020 है। सूचक ने कोचिंग मालिक दानिश अख्तर से कहा तथा वहॉ बहुत खोज बीन किया परंतु उक्त गाड़ी का कही पता नहीं चला। उक्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष हैं और उसने कोई अपराध नहीं किया हैं। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से जिला न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से आगे यह कहा गया कि पूर्व में आवेदक के विरूद्ध पॉच आपराधिक इतिहास हैं। आवेदक का इस अपराध में कोई संलिप्तता नहीं है। आवेदक के पास से कोई भी वस्तु बरामद नहीं किया गया है। आवेदक अप्राथमिकी अभियुक्त है। आवेदक को इस केस में झूठा फॅसाया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त इस विद्वान न्यायालय के संतोषानुसार जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अतः उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

उभयपक्षों को सुना तथा उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, सिवान नगर थाना कांड संख्या 787/2025, अंतर्गत धारा 303(2),305(बी) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया हैं। प्राथमिकी के अनुसार काराधीन आवेदक/अभियुक्त अंकित यादव पर यह आरोप है कि उसके द्वारा सूचक के वाहन की चोरी की गई जो उन्होने प्रिमियम कोचिंग इन्सटिच्युट रामराज्य मोड़ रिचा गैस एजेंसी के बगल में लगाया गया था। चोरी की गई मोटरसाइकिल को श्रीरामपुर थाना द्वारा बरामद किया गया हैं तथा आवेदक/अभियुक्त अंकित यादव एवं अमित ठाकुर को चोरी के मोटरसाइकिल के साथ पकड़े जाने के संदर्भ में अपराध कारित करने के लिए श्रीरामपुर थाना कांड संख्या–192/2025 दिनांक 18.10.2025, धारा 60/72

उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क/अबकारी अधि0 के अंतर्गत अज्ञात के विरूद्व दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में अप्राथमिकी अभियुक्त अमित ठाकुर तथा अंकित यादव को गिरफ्तार कर पुनः श्रीरामपुर थाना कांड संख्या–194/2025, दिनांक 27/10/2025, अन्तर्गत धारा–309(4),115(2),352,351(3),317(2),341(4) बी.एन.एस., 4/25 आर्म्स एक्ट एवं 3/25 आर्म्स एक्ट को संस्थित किया गया हैं जो वर्तमान में मंडल कारा देवरिया में बंद थे। अभिलेख अवलोकन से विदित होता हैं कि आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 05.02.2026 को श्रीरामपुर थाना कांड संख्या–194/2025 से इस कांड में अधीनस्थ न्यायालय में रिमांड किया गया हैं। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी की कंडिका 46 एवं 49 में आवेदक/अभियुक्त की गिरफत्ारी एवं उनके पास से मोटरसाइकिल बरामद करने तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त मोटरसाइकिल चोरी कर शराब के कारोबार में उपयोग की बात को स्वीकार किया गया हैं। आवेदक/अभियुक्त अंकित यादव के विरूद्व जमानत आवेदन के कंडिका संख्या–3 में पॉच अपराधिक इतिहास बताया गया है परन्तु सुनवाई के क्रम में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया कि आवेदक अंकित यादव के जमानत याचिका के कंडिका–3 में टंकण के भूलवश एक आपराधिक इतिहास के जगह पर पॉच आपराधिक इतिहास दर्ज हो गया है जो गलत है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त अंकित यादव दिनांक 05.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में एवं काराधीन आवेदक/अभियुक्त अंकित यादव दिनांक 05.02.2026 से काराधीन है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सिवान के संतुष्टियोग्य मो. 10,000/–(दस हजार) रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त अनुसंधान/विचारण में सहयोग करेंगे। दोनों प्रतिभू में से एक प्रतिभू इनके निकट संबंधी होंगे। बंधपत्र दाखिल किये जाने समय काराधीन आवेदक/अभियुक्त एवं प्रतिभूगण का मोबाईल नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं प्रतिभूगण के द्वारा भी धारा 486 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित घोषणा पत्र के तहत सभी सुसंगत विशिष्टियॉ दी जायेगी।

लेखापित
ह0/–
(मोनिषा सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
सिवान।